न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–441/17 (आर/सी/एम एच नं. 2017/00391)

1. लादूराम,
2. रामप्रसाद पुत्रान स्व. दुर्गा, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—–अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोविन्द नारायण,
2. कैलाश चन्द्र,
3. प्रभूनारायण,
4. रामपाल पुत्रान स्व. स्वरूपनारायण,
5. श्रीमती धापू धर्मपत्नी स्व. स्वरूपनारायण,समस्त जाति ब्रागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सिरोली, तहसीलसांगानेर जिला जयपुर।

—– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 21.11.2017 (प्रकरण संख्या 170/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया है कि उक्त अपील के लंबन के दौरान पक्षकारों के रिश्तेदारों इष्टमित्रों, अधिवक्तागणें व मान्य न्यायालय के प्रयासों से लोक अदालक की भावना से पक्षकारान में मौजूद आपसी विवाद का समाधान होकर राजीनामा हो गया है व मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध अपीलान्ट्स के क्लेम के सही स्वीकार कर भूमि के सम्बन्ध में मौजूद अन्य न्यायालयों में मौजूद वाद/अपील को विड्रो कर लिया है व अब पक्षकारान के मध्य उक्त भूमि के सम्बन्ध में अन्य कोई विवाद शेष नही रहा गया है। उन्होने कथन किया है कि मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को सही मानकर अपील को मंजूर किये जाने में अपनी सहमति प्रदान करते है इसमें रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से यह राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि मुताबिक राजीनामा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0. 13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.43 हैक्टयर, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.31 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.10 हैक्टयर स्थिति ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर बाबत

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार द्वारा पारित शुद्धिकरण आदेश दिनांक 09.11.2017 को बहाल किया जावे साथ ही उक्त शुद्धिपत्र को बहाल किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने हेत तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जावें व भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न होने से शुद्धि पत्र अथवा भूमि की जमाबन्दी में इस सम्बन्ध में मौजूद नोट को हटाये जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जावें तथा उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामें को स्वीकार फरमाते हुये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.11.2017 को निरस्त किया जाकर शुद्धिपत्र दिनांक 09.11.2017 को बहाल किया जावें व शुद्धिपत्र के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 43/17 में दिनांक 11.10.2017 को स्थगन जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2017 नियत की गई है तथा उक्त स्थगन आदेश का हवाला पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अंकन किया गया है उसके उपरान्त भी तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 09.11.2017 को पारित किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर के स्थगन आदेश के प्रभावी रहने के दौरान जारी किया गया है जिसे केवल मात्र उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने से एवं उभयपक्ष के कहने देने मात्र से विधि विरूद्ध आदेश को न्यायिक दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता है किन्तु उभयपक्ष के मध्य हुऐ राजीनामें के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ वादग्रस्त आराजी की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।